

## मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा। निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु दिनांक 23.10.2018 को निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। क्रम संख्या- 1 से 6 पर अंकित कार्यो हेतु प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में पंजीकृत फर्मो एवं क्रम संख्या-7 पर अंकित कार्य हेतु अनुभवी फर्मो की निविदाएँ ही मान्य होगी। मुहरबन्द निविदायें मुख्य अभियन्ता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 23.10.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक डाली जा सकती है। निविदाएँ तद्दिनांक को ही अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि हों), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि ई-चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मयूर विहार, मथुरा कैंट, मथुरा में जमा कराते हुए निविदा प्रपत्र निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मयूर विहार, मथुरा कैंट, मथुरा अथवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करते समय ही राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, के रूप में वॉछित आवश्यक धरोहर धनराशि जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	धरोहर राशि (रु०)	निविदा मू० (18% G.S.T) सहित (रु०)	समयावधि
1	2	3	4	5	7
1	चैतन्य विहार आवासीय योजना (द्वितीय चरण) के सेक्टर-01, 02, 03 व 18 मी0 वार्ड मुख्य मार्ग में सड़कों, नालियों, पार्क व आन्तरिक सीवर मैनहोल की नियमित सफाई का कार्य।	8,41,932.00	84,200.00	708.00	एक वर्ष
2	कैलाश नगर योजना में उच्च जलाशय (ओ0एच0टी0) की क्षतिग्रस्त सीढियों को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य।	3,99,425.00	40,000.00	472.00	दो माह
3	कैलाश नगर योजना के सेक्टर-01 में क्षतिग्रस्त वाटर लाइन बदलने का कार्य।	3,57,875.00	36,000.00	472.00	दो माह
4	कैलाश नगर आवासीय योजना में वाटर लीकेज मरम्मत का कार्य।	1,13,790.00	11,400.00	472.00	तीन माह
5	चैतन्य विहार आवासीय योजना में द्वितीय चरण के सेक्टर-02 में भूखण्ड संख्या- एस-02/88-96 के सामने पार्क की रंगाई-पुताई का कार्य।	1,41,295.00	14,300.00	472.00	दो माह
6	गोवर्धन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पेयजल व्यवस्था का कार्य।	4,32,660.00	43,300.00	472.00	तीन माह
7	दीनदयाल धाम (नगला चन्द्रभान), फरह में वृक्षारोपण का कार्य (तीन वर्ष अनुरक्षण सहित)।	1,02,600.00	10,500.00	472.00	एक माह

नोट:-

- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होंगी।
- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08,टी0सी0 दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में "कट आफ लिमिट" से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी।
- सभी प्रकार के प्रचलित टैक्स एवं निर्माण अवधि में आरोपित अन्य टैक्सों के वहन का दायित्व निविदादाता का होगा। प्राधिकरण द्वारा प्रचलित व निर्माण कार्यो मे आरोपित टैक्सों का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- समस्त कटौतियों लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जायेगी।
- व्यानुमान की दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा। (क्रम संख्या- 21 व 22 पर अंकित कार्य में जी.एस.टी. सम्मिलित हैं)

7. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा ।
8. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
9. उ.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अंतर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है । अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
10. स्टेट बार कॉउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकॉर्ड वाले निविदादाता की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है । साथ ही यदि निविदादाता का सगा-सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) म.वृ. वि.प्रा. में कार्यरत है, तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
11. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जयेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा ।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

मुख्य अभियन्ता